न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/11192/2002/सीकर

1– हनुमान प्रसाद – फौत जरिये वारिसान

1/1. मूलीदेवी पत्नि हनुमान प्रसाद,

1/2. रामनिरंजन पुत्र हनुमान प्रसाद,

1/3. चन्द्रशेखर पुत्र हनुमान प्रसाद,

1/4. गीता देवी पुत्री हनुमान प्रसाद,

1/5. कमला देवी पुत्री हनुमान प्रसाद समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सीकर महामन्दिर रोड़, वाड नं0 13 सीकर तहसील व जिला सीकर।

..... अपीलांटान

बनाम

1– रतनीदेवी पत्नि स्व0 गोविन्दराम जाति ब्राह्मण निवासी कासली, राजेन्द्र हास्पिटल के पास, शास्त्री नगर, सीकर।

2– मुकन्दा राम पुत्र कानामाराम जाति जाट निवासी फकीरपुरा, तहसील व जिला सीकर।

3– सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।

..... रेस्पोडेन्टान

खण्ड पीठ

श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक अपीलांट।

(2) श्री राघवेन्द्रसिंह राणावत, अभिभाषक रेस्पो0।

निर्णय **दिनांक :–13–01–2021**

यह द्वितीय अपील धारा 224 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24–07–2002 अपील सं0 36/2000 बउनवान हनुमान प्रसाद बनाम रतनी देवी व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

अपील/डिक्री/टीए/11192/2002/सीकर

हनुमान प्रसाद बनाम रतनी देवी

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रथम (मु0) सीकर के समक्ष एक दावा इस्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाई दवामी व दुरूस्ती इन्द्राज व धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कासली में वादी के पुश्तैनी खतोदारी, कब्जे, अधिकार की कृषि भूमि खसरा नं0 10/1 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि वादी के अनुसार वादी एवं उसके परिजनों के पूर्वजों के जागीरदारी में थी तथा कदीम से वादी के एकमात्र कब्जे, अधिकार, काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान में कब्जा भी वादी का है। वादी के चाचा, ताउ जागीरदारान पांती लावल्द फौत हो गये। जमाबन्दी सम्वत् 2011 लगायत 2014 में वादी और उसके परिजनों का नाम अंकित है। जागीर पुनः ग्रहण होने पर उक्त भूमि के जमाबन्दी सम्वत् 2014 से 2017 में बिना किसी आधार व बिना नामान्तरकरण के श्री कानाराम प्रतिवादी सं0 2 के पिता लादु का नाम अंकन हो गया। उक्त अंकन फर्जी बनावटी बिना आधार के होने से वादी इससे पाबन्द नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिन्होंने वादोत्तर प्रस्तुत किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने उभयपक्षकारान की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 7–9–2000 से वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष अपीलांट हनुमान प्रसाद ने प्रस्तुत की जो अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 24–7–2002 को खारिज कर दी गई जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 24–7–2002 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट हनुमान प्रसाद द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत बाबत् उद्घोषणा, खातेदारी अधिकार, नामान्तरकरण सं0 306 दिनांक 11–9–1971 को अवैद्य घोषित

किये जाने एवं राजस्व रेकार्ड से रेस्पो0 का नाम हजफ किया जाकर अपीलांट/वादी का नाम दर्ज किये जाने का पेश किया गया जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 7–9–2000 को वादी/अपीलांट का कब्जा साबित नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया। राजस्व रेकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात तथा साक्षियों के कथनों का एवं न्यायालय मुन्सिफ सीकर में चले इसी विवादित कृषि भूमि एवं आवासीय सम्पदा जो स्व0 लादूराम की रही थी, गणपत को लादूराम ने गोद लिया तथा उसकी बाबत् सिविल न्यायालय द्वारा चार तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा जो तनकीयात निस्तारित की गई तथा जो कानूनी आपत्ति दस्तावेज गोदनामा की बाबत् की गयी थी, उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया तथा अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा की गई विवेचन कानूनी रूप से गलत होने के कारण निरस्त योग्य थी। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा साक्ष्य का विवेचन करने में गम्भीर त्रुटि की है कि ग्राम पंचायत कासली द्वारा जो नामान्तरकरण सं0 306 तस्दीक करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होने के कारण नामान्तरकण अवैद्यानिक है। विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय मात्र काल्पनिक व सम्भावनाओं के आधार पर किये गये हैं जो यथावत् रखने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय दिनांक 7–9–2000 व 24–7–2002 अपास्त किये जावें। उन्होंने अपने समर्थन में 1971 आर0आर0डी0 पेज 9 की नजीरात प्रस्तुत की गई।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट ने अपीलांट की बहस का विरोध करते हुए अपनी लिखित बहस में कथन किया कि वादी/अपीलांट तनकी सं0 1 व 2 में अपने वाद में कब्जा साबित नहीं कर पाया तथा ना ही वाद में बंशावली अंकित की है एवं ना ही सजरा खानदान पेश किया तथा ना ही यह साबित कर पाया कि वादी की खुदकाश्त की भूमि हो बल्कि कब्जा काश्त एवं खातेदारी गणपतराम एवं गोविन्दराम तथा प्रतिवादिया का रहा है जबकि जागीर उन्मूलन अधिनियम प्रभाव में आते ही जागीरदार के समस्त अधिकार समाप्त हो गये। बरवक्त काश्तकारी कानून प्रभाव में आने पर प्रतिवादिया के ससुर के नाम इन्द्राज एवं काश्त दर्ज रही है। तनकी सं0 2 व 3 भी वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में साबित हुई हैं क्योंकि इन्तकाल सं0 306 के विरूद्ध अपीलें खारिज की गई तथा भू–प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रतिवादिया के पक्ष में निर्णय पारित किये गये।

अपील/डिक्री/टीए/11192/2002/सीकर

हनुमान प्रसाद बनाम रतनी देवी

प्रतिवादियों के जवाब का कोई खण्डन जरिये जवाबुल जवाब वादी ने नहीं किया है और ना ही गोद के बिन्दु पर कोई तनकी विचरित की गई है। इस कारण उक्त गोद पुत्र बाबत् बिन्दु जो अपील के स्तर पर उठाया गया है, चलने योग्य नहीं है। वादग्रस्त आराजी लादूराम की खातेदारी की है परन्तु कब्जा काश्त गणपतराम का ही रहा है जिनके द्वारा प्रतिवादियां के ससुर गणपतरात को तत्समय प्रचलित प्रथा एवं विधि अनुसार गोद लिया है तथा गोदनामा भी तस्दीक किया है जो ऑन रेकार्ड है। तनकी सं0 4 से 7 तक वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादियां के पक्ष में सिद्ध हुई है क्योंकि खसरा नं0 1, 4, 5, 10 संयुक्त रूप से लादूराम एवं हनुमान के सामलाती रही है, बाद में आपसी बंटवारा होकर खसरा सं0 10 लादूराम के हिस्से आया है तथा अन्य खसरा नंबरान की खातेदारी अपीलकर्ता के नाम दर्ज की गई है जिसके विरूद्ध आज तक कोई कार्यवाही अपीलांट द्वारा नहीं की गई है। विवादित भूमि खसरा नं0 10/1 वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में कभी भी नहीं रही है तथा बरवक्त जागीर उन्मूलन अधिनियम प्रभाव में आते ही जागीरदार के समस्त अधिकार हो गये हैं। इस प्रकार वादी खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता है तथा कब्जे के अभाव में वाद व अपील दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सही खारिज की गई है जिस कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय होने के कारण वर्तमान अपील अपीलांट काबिल खारिज योग्य है। उन्होंने अपने कथन की ताईद में 1995 आर0बी0जे0 पेज 566, 2012 आर0आर0टी0 पेज 444, 1977 आर0आर0डी0 पेज 399, 2008 डी0एन0जे0 पार्ट I पेज 133, 1994 आर0बी0जे0 पेज 46, 2002 आर0आर0टी0 पेज 775, 2002 आर0आर0टी0 पेज 115 एवं 2008 आर0बी0जे0 पेज 41 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये।

6- हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस एवं लिखित बहसों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

7- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादिया रतनी बेवा गोविन्दराम का विवादित भूमि खसरा नं0 10/1 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा पर कब्जा वर्ष 1971 के पूर्व से अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी बाबत नामान्तकरण संख्या 306 वर्ष 1971 में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट के नाम दर्ज किया गया था जिसकी प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा

दिनांक 1–8–1984 को निरस्त कर दी गई थी जिसके पश्चात इस निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह निर्णय अंतिम हो चुका है तथा नामान्तकरण संख्या 306 के विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष भी अपील प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 22–6–1982 को निरस्त की जा चुकी थी तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य अनुसार इस निर्णय के विरूद्ध भी आगे चाराजोही नहीं की गई है और यह निर्णय भी अंतिम रहा है।

8– विचारण न्यायालय के समक्ष वाद में आठ तनकियात कायम की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वाद वादी दिनांक 7–9–2000 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक तनकी पर पुनः विस्तृत विवेचन करते हुए दिनांक 24–7–2002 को खारिज कर दी गई। प्रकरण के गुणावगुण पर निष्कर्ष उपरान्त विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय होने के कारण द्वितीय अपील के स्तर पर कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हुए अपील अपीलांट काबिल खारिज योग्य है।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–07–2002 एवं विद्वान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट प्रथम (मु0) सीकर के निर्णय व डिक्री दिनांक 7–9–2000 यथावत रखें जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य